8 9/21 पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, अनूपगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 27.8.21 के बिन्दु संख्या 3 के संबंध में आपत्ति दर्ज करवाई गई, परन्तु आपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेजात अथवा तर्कसंगत बिन्दु प्रस्तुत नहीं कर पाए।

वस्तुतः प्रार्थी द्वारा इस आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय हाजा द्वारा समान पक्षकारों एवं समान भूमि और रास्ते के संबंध में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 22.09.14, जिसे माननीय अपीलीय न्यायालयों न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर एवं मा. न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यथावत् रखा गया; की पालना अप्रार्थी संख्या 3 काशीराम को भूमि के चेपती न होने के कारण रास्ते में आई भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 3 को किला नं. 23 में जमीन दी जानी संभव न होने के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी।

वस्तुस्थिति के संबंध में स्पष्टता बाबत तहसीलदार अनूपगढ़ से तीन बिन्दुओं पर पुनः रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.08.21 द्वारा अवगत कराया गया कि-

(i) चक 9 जीबी का मु.नं. 29 प. नं. 322/425 एवं मु.नं. 36 प. नं. 322/426 को किसी भी तरफ से कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है, परन्तु मु.नं. 29 के उत्तर की तरफ मु.नं. 26 में 21 ता 25 डामर सड़क बनी हुई है, परन्तु डामर सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kuma
Date: 2021.09.20 16:38:27 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृत नहीं है।
(ii) मु. नं. 36 प. नं. 322/426 को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है।
(iii) न्यायालय निर्णय दिनांक 22.9.2014 की पालना में मु. नं. 29 के कि. नं. 3, 8, 13, 18 के साथ किला नं. 23 को रास्ते के रूप में स्वीकृत कर दिया जावे तो मु. नं. 36 के किला नं. 3 तक रास्ता पहुंच जाएगा। यदि मु. नं. 36 के समस्त खातेदारों को रास्ता उपलब्ध करवाना है तो मु. नं. 36 के किला नं. 3, 8, 13, 18 में रास्ता स्वीकृत करना होगा।

वस्तुतः न्यायालय हजा द्वारा दिनांक 22.9.2014 को निर्णय पारित करते समय किला नं. 23 में अप्रार्थी सं. 3 को रास्ते के बदले भूमि देने के पीछे मंशा संभवतः प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाने के साथ-साथ अप्रार्थी संख्या 3 को मुरब्बा सं. 36 में स्थित भूमि को भी रास्ता उपलब्ध करवाने की थी। हस्तगत प्रार्थना पत्र के जबाब में भी अप्रार्थीगण ने अतिरिक्त कथन खण्ड में अंकित किया है कि मुरब्बा नं. 29 के पत्थर नं. 322/425 के किला नं. 3 के एवज में इसी मुरब्बा के किला नं. 23 में दी गई 1 बिस्वा कृषि भूमि से हम अप्रार्थीगण भी अपनी जमीन में जा सकते है। स्पष्ट है कि रास्ते के बदले प्रतिफल के रूप में प्राप्त भूमि का भी अप्रार्थीगण रास्ते के रूप में उपयोग करने को इच्छुक है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय हजा के निर्णय दिनांक 22.9.2014 की पालना से संबंध किसी भी प्रकार की व्यावहारिक अथवा कानूनी बाधा नहीं है।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि 'प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र उसी वाद बिन्दु पर दोबारा लगाया है,

Signature N
Digitally signed
Date: 2021.09.2
Reason: SelfAt

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक
	उसी वाद बिन्दु पर उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी जमीन को लेकर उक्त प्रार्थना पत्र लगाया है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है।" हस्तगत प्रार्थना पत्र के अभिवचनों व पक्षकारों तथा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.9.14 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उसी भूमि के लिए उन्हीं पक्षकारों से रास्ता चाहा गया है, जिस भूमि एवं जिन पक्षकारों के लिए न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.9.2014 के द्वारा रास्ता प्रदत्त किया जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.9.2014 को माननीय अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 08.06.2015 द्वारा एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2016 द्वारा यथावत रखा गया है। वस्तुत: सिद्ध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (विवाद्यक) प्रत्यक्षत: पूर्ववर्ती प्रार्थना पत्र में सुना जाकर अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसे किसी विवाद्यक अथवा वाद का विचारण नहीं किया जा सकता है, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में सुना जाकर अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। अत: उक्त विश्लेषण के क्रम में हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। तहसीलदार अनूपगढ़ को न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.9.2014 के पालनार्थ तहरीर अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। फैसला सरे-इजलास सुनाया गया। [signature] 8/9/21	

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kum
Date: 2021.09.20 16:38:27 IST
Reason: SelfAttested